

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/एनिकट निर्माण-3/2020-21/

दिनांक : 27/01/2021

उपायुक्त,

2331-39

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

डूंगरपुर ।

विषय : एनिकट निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : उपायुक्त,टीएडी डूंगरपुर का पत्रांक 2275 दिनांक 24.10.2020 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 25678-82 दि. 24.10.2020 द्वारा एनिकट निर्माण कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित पत्र के साथ संलग्न पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर का पत्रांक 1685 दिनांक 24.10.2020 से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना एवं जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से निम्नलिखित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-7 अनुसार राशि रु. 47.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फलकु नाले पर एनिकट निर्माण ग्राम पंचायत पिपलागूज	सागवाडा	25678-82 24.10.2020	19.56	14/24.10.2020	19.53	9.80
2	मोतीया दरे में पक्का चैक डेम निर्माण ग्राम पंचायत पिपलागूज	सागवाडा	11000-30 28.02.2019	10.44	13/24.10.2020	10.38	5.20
3	कमलिया महूडा के पास एनिकट निर्माण ग्राम नवाधरा ग्राम पंचायत वरसिंगपुर	सागवाडा	11000-30 28.02.2019	18.01	15/24.10.2020	18.01	9.00
	योग			48.01		47.92	24.00

उपरोक्त कार्यों पर स्वीकृत राशि 47.92 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त की राशि कॉलम संख्या-8 अनुसार रु. 24.00 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1200.93 लाख रु. में से उपलब्ध राशि से होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। कार्यों के संपादन में प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

कृपू.उ.

3. पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को स्वीकृत कार्यों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दिए गए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं निर्देशिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किए जावें।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. कार्यों का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावें।
6. उपायुक्त, टीएडी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728-80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा राशि हस्तांतरण के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है उन कार्यों की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

- क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित एनिकट निर्माण /18-19/ दिनांक :
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ । 2931-39 27/01/2021
1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
 2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
 3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
 4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर।
 5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति सं. 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1200.93 लाख रु. में से उपरोक्त कार्यों हेतु कॉलम संख्या-8 अनुसार प्रथम किश्त की राशि 24.00 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करावें।
 6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
 - ✓ 7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
 8. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर